झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/177/2003– 26/14-15 569/ राँची, दिनांक 21/X/19

प्रेषक,

ई० सुनील कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार**

विषय :– **चिरका जलाशय योजना के ई॰आर॰एम॰ कार्य अन्तर्गत चिरका मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 12.63 तक का पुनर्स्थापन के साथ लाईनिंग कार्य हेतु रू॰ 1140.60 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ चालीस लाख साठ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति।**

आदेश स्वीकृत

2. चिरका जलाशय योजना के ई॰आर॰एम॰ कार्य अन्तर्गत चिरका मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 12.63 तक का पुनर्स्थापन के साथ लाईनिंग कार्य हेतु रू॰ 1140.60 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ चालीस लाख साठ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस कार्य के अंतर्गत निम्न कार्य कराये जाएगें :–

   1) चिरका मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 12.63 कि०मी० तक पुनर्स्थापन के साथ लाईनिंग कार्य।

   2) इसके अंतर्गत 30 अदद् आउटलेट का निर्माण।

   3) 23 अदद् संरचनाओं का मरम्मति कार्य।

   4) डोल वितरणी एवं मुख्य नहर के चेन 432 से 492 तक का पुनर्स्थापन कार्य।

4. इस कार्य को वर्ष 2014–15 मे प्रारंभ कर वर्ष 2016–17 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है। वर्षवार प्रस्तावित व्यय विवरणी निम्नवत् है :–

वर्ष	**प्रस्ताव**
2014–15	100 लाख
2015–16	700 लाख
2016–17	340.60 लाख
कुल :–	**1140.60 लाख**

5. इस कार्य पर होनेवाला व्ययः–

   (i) ''मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष–54–पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण,

(ii) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–54–पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05– निर्माण, 43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

6. प्रस्तावित कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा होंगे।

7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

8. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2014–15 के बजट में एकमुश्त उपबंध है।

9. प्रस्ताव पर माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

10. प्रस्ताव पर योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के माध्यम से योजना मंत्री (झारखण्ड) का अनुमोदन प्राप्त है।

11. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

12. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

13. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/177/2003– .... **/राँची, दिनांक** ....

प्रतिलिपि :– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/वित्त विभाग, झारखण्ड राँची एवं योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/177/2003– .... **/राँची, दिनांक** ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/177/2003– 66/14-15७.(ल)/राँची, दिनांक 31/X/14

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, गढ़वा/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा /वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)